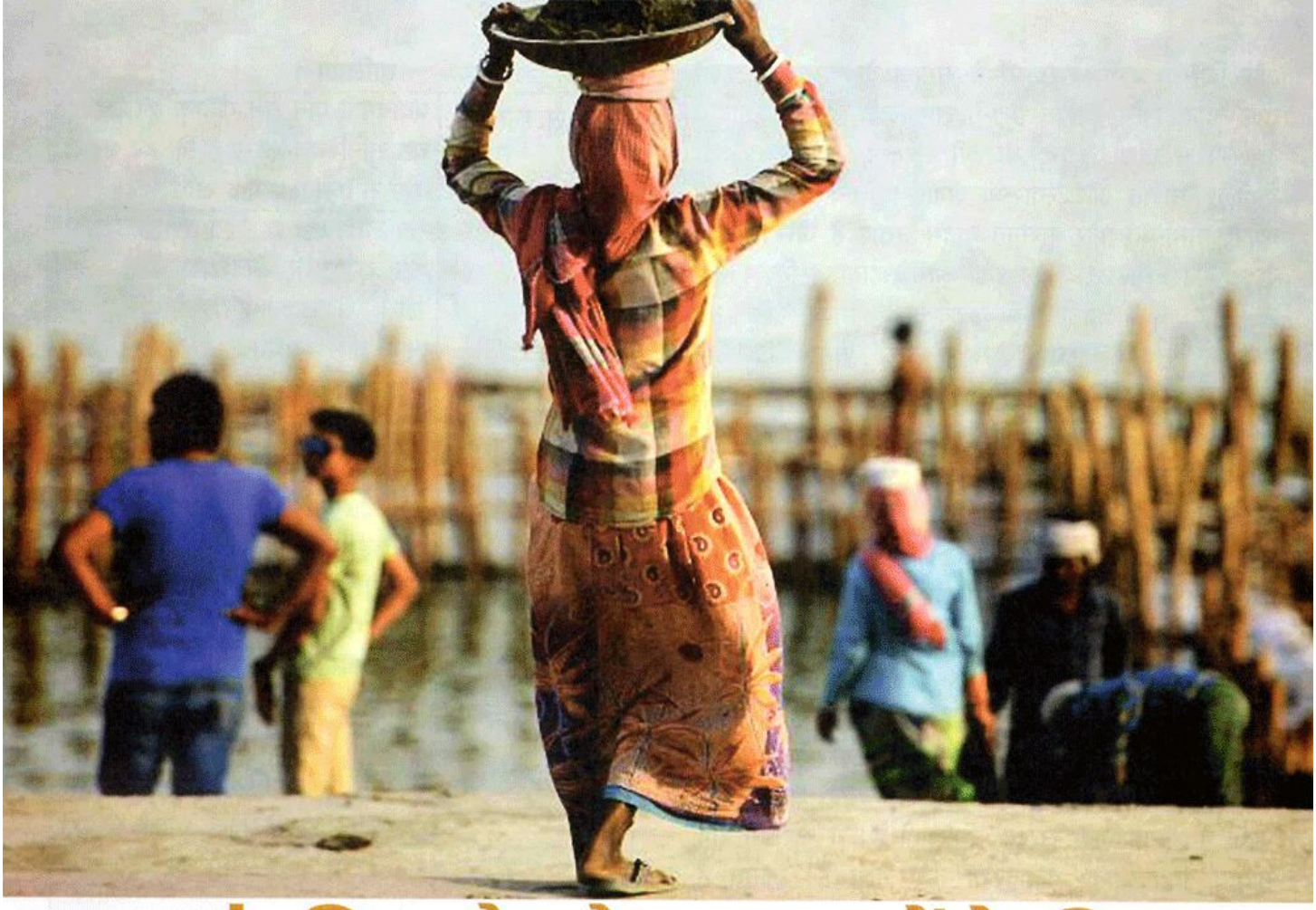

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

*मंजुला वाधवा

समान सोच, समान भाव और समान संरक्षण ही समाज में समानता ला सकते हैं। तभी ये योजनाएं असंगिठत क्षेत्र के कामगारों के लिए 'स्वावलम्बन की छड़ी' सिद्ध हो सकेंगी। आज ज़रूरत है ऐसी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जो सर्व समावेशी हों, व्यावहारिक हों, कार्यान्वयन में आसान हों और इसके लिए सरकार के साथ अन्य सभी हितधारकों को मिलकर नवोन्मेषी सोच लेकर चलने की आवश्यकता है। तभी देश का समग्र सतत विकास सुनिश्चित हो पाएगा।

इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के आकलन के अनुसार, भारत में कुल श्रम-बल का लगभग 93 प्रतिशत भाग यानी अंदाज़न 43।99 करोड़ कामगार असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, जिन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के प्रयोजन से भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 बनाई है। इसका उद्देश्य है देश के असंगठित क्षेत्र में विभिन्न संगठनों में काम कर रहे कामगारों और मज़दूरों को बीमारी, प्रसूति, विकलांगता जैसी स्थितियों में सामाजिक सुरक्षा के लाभ पहुँचाना। इस संहिता में प्रावधान रखा गया है कि ज़िला प्रशासन असंगठित क्षेत्र के सभी मज़दूरों, कामगारों, अस्थायी कामगारों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का पंजीकरण करे और उन्हें पहचान पत्र जारी करे। साथ ही, कामगार सहूलियत केन्द्र स्थापित किए जाएं जो अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों से उन्हें सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं मुहैया करवाने में मदद कर सकें। इसके अलावा, इन वर्गों के लिए बनाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड गठित करने की भी व्यवस्था है। इसी मकसद से केंद्र

*लेखिका नाबार्ड में उप महाप्रबंधक रह चुकी हैं। ई-मेल : manjula.jaipur@gmail.com

और विभिन्न राज्य सरकारों ने समाज के कमज़ोर तबकों तक नक़द लाभ, अग्रिम पेंशन, सामाजिक सुरक्षा सहायता के रूप में खाद्य राशन, मज़दूरी संरक्षण, आश्रित आबादी के लिए भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने की दिशा में व्यापी, समन्वित और सुसंगत कदम उठाए हैं जैसे श्रमिकों के रोज़गार और आय की रक्षा और सहायता -विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों, महिलाओं, वृद्धों, विकलांग श्रमिकों जैसे कमज़ोर समूहों के लिए स्वास्थ्य, अनिवार्य सेवाओं और कार्यस्थलों तक पहुँचने वाले श्रमिकों और स्वास्थ्य सेवाओं के फ्रंटलाइन श्रमिकों की रक्षा करना, व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और सूक्ष्म उद्यमों का संरक्षण आदि।

बेशक केन्द्र सरकार ने उल्लिखित इन मुद्दों को हल करने के लिए बहुत से प्रयास किए हैं किंतु इन पर विस्तृत चर्चा करने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्रों के बारे में जानना आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार- "वह सुरक्षा जो समाज द्वारा उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं और जोखिमों से बचाव के लिए दी जाती है, 'सामाजिक सुरक्षा' कहलाती है। ये जोखिम रोग, मातृत्व, विकलांगता, वृद्धावस्था तथा मृत्यु हैं। जानते हैं, पहली बार सामाजिक सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल 1935 में अमेरिका में सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित करते समय किया गया, 1938 में न्यूज़ीलैंड में यह चर्चा में आया। भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सुविधाएं देने के लिए 1948 से लेकर समय-समय पर अनेक अधिनियम बनाए गए जैसे कर्मचारी प्रोविडेंट फंड अधिनियम, 1952, प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961, वृद्धावस्था पेंशन योजना अनुग्रह भुगतान संशोधित अधिनियम, 1984 आदि। समय की ज़रूरतों के अनुसार इनमें संशोधन भी किए गए। भले ही, इन योजनाओं का लाभ कुछ हद तक संगठित क्षेत्र में कार्यरत आम जन को मिलता आ रहा हो परंतु भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ लगभग आज भी 93% लोग असंगठित क्षेत्र में रोज़ी-रोटी कमाते हैं, वे कभी गरीबी के दुष्चक्र से बाहर नहीं निकल पाते और न ही अपने परिवारों को मूल सुविधाएं मुहैया करवा पाते हैं।

2014-15 में वर्तमान केंद सरकार के सत्ता में आने के बाद इन असंगठित क्षेत्रों की समस्याओं की ओर ध्यान देते हुए कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गईं। वर्तमान प्रधानमंत्री ने अगस्त 2014 में अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित रही जनता को औपचारिक बैंकिंग के दायरे में लाने के लिए प्रधानमंत्री जन-धन योजना चलाई। योजना की विशेषताएं तालिका-1 से स्पष्ट हो जाती है।

तालिका-1

खाता सुलभता	प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में कम से कम एक बैंक खाता हो।
ज़ीरो बैलेंस अकाउंट	पीएमजेडीवाई के तहत खाते न्यूनतम शेष राशि की आवश्यकता के बिना खोले जा सकते हैं। नतीजतन, कम आय वाले व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुँचना आसान हो जाता है। ये खाते नियमित खाते की तरह जमा पर ब्याज प्रदान करते हैं।
ओवरड्राफ्ट सुविधा	खाताधारक 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए पात्र हैं। यह विशेष रूप से महिला खाताधारकों के लिए लक्षित है।
दुर्घटना बीमा कवर	पीएमजेडीवाई में खाताधारकों को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कॅवर उपलब्ध है। 28 अगस्त, 2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों में इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण बिना	किसी मध्यस्थ के लाभार्थियों के खातों में सीधे योजनाओं का लाभ पहुँचाना।
वित्तीय साक्षरता	यह योजना खाताधारकों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
बैंक मित्र	योजना की पहुँच बढ़ाने के लिए योजना बैंक मित्रों (बैंक प्रतिनिधियों) को नियुक्त करती है। ये बैंक मित्र देश भर में, विशेषकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में शाखा रहित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं।

कामगारों व मज़दूरों को मृत्यु और विकलांगता होने पर सुरक्षा कवर देने के लिए 2015 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चलाई गई जो टर्म इंश्योरेंस प्लान है जिसमें निवेश के बाद यदि पॉलिसी धारक की किसी भी कारण से मौत हो जाती है या वह दिव्यांग हो जाता है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मिलते हैं- मगर ध्यान रहे, किसी भी टर्म प्लान में अगर पॉलिसी लेने वाला व्यक्ति पॉलिसी की अवधि पूरी होने तक जीवित रहे तो फिर उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसका सालाना

प्रीमियम मात्र 436 रुपये है, यह राशि बीमित व्यक्ति के खाते से ईसीएस के ज़रिए ली जाती है। इस बीमा योजना में किसी मेडिकल जाँच की ज़रूरत नहीं होती है। 50 साल की आयु तक टर्म प्लान लिया जा सकता है, हालांकि टर्म प्लान लेने की न्यूनतम उम्र 18 साल है। कहां तो शुरुआत में 2.96 करोड़ लोग इससे जुड़े थे, अगस्त 2024 तक इसके तहत् 16 करोड़ लोग कवर किए जा चुके हैं।

इसी प्रकार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में महज़ 20 रुपये सालाना प्रीमियम भरने पर मृत्यु होने पर 2 लाख रू तथा विकलांग हो जाने पर एक लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। 18-70 साल तक की उम्र के लोग इसका फाय़दा उठा सकते हैं। अब तक 34 करोड़ लोग इसमें कवर किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अगर लाभार्थी का आयकर बनता भी हो तो भी एक लाख रुपये तक की बीमित राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 10 (डी) के तहत टैक्स नहीं लगता।

जहां तक अटल पेंशन योजना का प्रश्न है, 18-60 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक इस योजना में शामिल हो सकता है बस बैंक में उसका खाता होना चाहिए। 60 वर्ष की उम्र होने पर पांच गारंटीशुदा पेंशन स्लैब 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5000 रुपये के ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। निवेश करने वाले व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और पत्नी की भी मृत्यु होने की स्थिति में बच्चों को पेंशन मिलने का प्रावधान है। ऐसे लोग जो आयकर के दायरे में आते हैं, सरकारी नौकरी में हैं या फिर पहले से ही ईपीएफ, ईपीएस जैसी योजना का लाभ ले रहे हैं, अटल पेंशन योजना का हिस्सा नहीं बन सकते। भारत सरकार का सह-योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि के दौरान इस योजना में शामिल हो चुके हों। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों से 55 करोड़ से अधिक लोग इन तीनों योजनाओं में शामिल हो चुके हैं।

ऐसी ही एक अन्य पेंशन योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन की घोषणा जुलाई 2019 में पेश किए गए केंद्रीय बजट में की गई थी। नवीनतम उपलब्ध आंकड़े बताते हैं कि अब तक देश के 36 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में इस योजना से 45,41,099 कामगार जुड़े हैं। 5 फरवरी, 2019 से लागू इस योजना के माध्यम से घर में काम करने वाली मेड या ड्राइवर, प्लंबर, मोची, दर्जी आदि को इस योजना से जोड़कर उन्हें 60 साल की उम्र के बाद आमदनी का कोई सहारा न होने पर इसका फायदा पहुँचाया जाता है। इस मेगा पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए। 3,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन का प्रावधान है। यह पेंशन लाभार्थी को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी। यदि सब्सक्राइबर जुड़ने की तारीख से 10 साल

के अंदर स्कीम से बाहर निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का अंशदान सेविंग बैंक की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा। किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित अंशदान करना होगा। सब्सक्राइबर की मौत के बाद उसके बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का हक नहीं होगा।

सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने 2019 में रांची में प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना की शुरुआत की। इस योजना से जुड़ने के लिए कारोबारियों की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी ज़रूरी है। छोटे दुकानदारों को इस योजना का लाभ 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा।

जहां तक संगठित क्षेत्र की बात है, दशकों से चली आ रही सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजनाएं भले ही अब नहीं चल रही हैं किंतु 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की शुरुआत करके सरकारी सेवा में 2004 के बाद आने वाले कर्मचारियों को इसमें शामिल किया जाता है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए यह पेंशन योजना 2009 में शुरू हुई थी। हाल ही में, 24 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 1 अप्रैल, 2025 से लागू की जाने वाली इस योजना में कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन का 10% रहेगा जबकि नियोक्ता का 18.5 % रहेगा।

इसी प्रकार स्वास्थ्य और प्रसूति लाभ देने के लिए आयुष्मान भारत नाम की व्यापक योजना चलाई गई जिसके अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा देकर उन्हें अच्छे अस्पतालों में इलाज की सुविधा दी जाती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 11 सितम्बर, 2024 को 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को इस योजना में शामिल

करके सुखद पहल की है। नवीनतम आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के अंतर्गत 45 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा जिनमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई 'एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' की योजना सरकार की ओर से अपने आप में सराहनीय प्रयास है। हथकरघा बुनकरों को बीमा सुविधा देने के लिए महात्मा गांधी बुनकर योजना चल रही है जिसके अंतर्गत बुनकरों को स्वाभाविक या दुर्घटना मृत्यु होने पर या फिर पूर्ण या आंशिक विकलांगता होने पर बीमा कवर दिया जाता है। 'भूखे को मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दो' के सिद्धांत पर चलाई गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बेहतरीन योजना है। मनरेगा भी असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मील का पत्थर साबित हुई हैं। मनरेगा के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में आबंटित 86000 करोड़ रुपये की राशि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को ऊपर उठाने की दिशा में सरकार की गंभीर सोच दर्शाती है।

इनके अलावा, ईएसआईसी की ओर से ईएसआई योजना चलाई जाती है जिसके दायरे में ऐसे सभी कारखाने और अन्य व्यापारिक संस्थान आते हैं जिनमें 10 या इससे

ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हों और जिनका मासिक वेतन 21 हजार रुपये से कम हो। मौजूदा समय में इस योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ लोग बीमित हैं और करीब 13.3 करोड़ कुल लाभार्थी हैं। सदस्य पर आश्रित परिवार के सभी सदस्य ईएसआई स्कीम के लाभार्थी होते हैं। इस स्कीम के तहत सदस्य कर्मचारी और लाभार्थियों को पहले दिन से ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। इसके अलावा, कार्यस्थल पर कर्मचारी की मौत होने पर उस पर आश्रित सदस्य को पेंशन भी मिलती है। फरवरी 2020 में ईएसआईसी ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (सामान्य) विनियम-1950 में संशोधन करते हुए प्रत्येक अधिसूचित ज़िले में स्थानीय समिति स्थापित करने का फैसला किया। 23 जुलाई, 2019 को श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा लोकसभा में व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थल स्थिति विधेयक, 2019 संहिता को रखा गया। इस विधेयक में सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति से संबंधित 13 श्रम कानूनों को निरस्त करके कारखानों, खानों, भवन और निर्माण श्रमिकों के लिए विशेष प्रावधान हैं।

निसंदेह, असंगठित क्षेत्र के हित में चलाई जा रही इन योजनाओं के लिए सरकार बधाई की पात्र है किंतु इतने सालों की यात्रा पूरी कर लेने के बाद इनकी प्रगति का जायज़ा लेना ज़रूरी है। तो आइए, अब चर्चा करते हैं कि ये योजनाएं अपने उद्देश्य को पूरा करने में कितनी कारगर सिद्ध हुई हैं? पीएमजेडीवाई पर गौर करें, तो खाते तो खुल गए किंतु ज़मीनी हकीकत यह है कि आज भी इनमें से ज़्यादातर खातों में जमाराशि बहुत कम या नगण्य हैं। दूसरी ओर, 2016 की नोटबंदी के दौरान कालाधन जमा करने के लिए भी इन खातों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हुआ। पीएमजेजेबीवाई पर गौर करें तो बीमा देने वाली कंपनियां इन योजनाओं में प्रीमियम

बहुत कम होने के कारण इन्हें कार्यान्वित करने के प्रति केवल उदासीन नज़र आती हैं। पीएमएसबीवाई का दायरा तो काफी बड़ा है किंतु प्राकृतिक मृत्यु, पहले से मौजूद रोग, युद्ध, दंगा-फ़साद आदि की स्थितियां इसमें शामिल नहीं हैं।

इन चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 'साझा सेवा केंद्र' (Common Service Centre) स्थापित किए हैं जहां सरकार की सभी जन कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने हेतु असंगठित क्षेत्र के कामगारों की मदद की जाती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अधिक से अधिक पात्र सदस्यों को कवर करने के उद्देश्य से सरकार ने ईएसआईसी द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का दायरा बढ़ाते हुए निर्माण क्षेत्र और अन्य उद्योगों में कार्यरत कामगारों को भी इनमें शामिल किया है।

असल में, जागरूकता की कमी, कम एनरोलमैंट, सीमित कवरेज और नाकाफ़ी फंडिंग इन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में खड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। समान सोच, समान भाव और समान संरक्षण ही समाज में समानता ला सकते हैं। तभी ये योजनाएं असंगिठत क्षेत्र के कामगारों के लिए 'स्वावलम्बन की छड़ी' सिद्ध हो सकेंगी। आज ज़रूरत है ऐसी सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जो सर्व समावेशी हों, व्यावहारिक हों, कार्यान्वयन में आसान हों और इसके लिए सरकार के साथ अन्य सभी हितधारकों को मिलकर नवोन्मेषी सोच लेकर चलने की आवश्यकता है। तभी देश का समग्र सतत विकास सुनिश्चित हो पाएगा। ❑